उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार।

सख्या– 1536/08/E-2(CJ-JD)/ 2012–13 दिनांक 2 जनवरी, 2013

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जे.डी.) (मुख्य) परीक्षा–2012

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जे.डी.) (प्रारम्भिक) परीक्षा–2012 के परिणाम के आधार पर सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Form) आमंत्रित किये जा रहे हैं। प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी दिनांक **17 जनवरी 2013** की रात्रि **11:59:59** बजे तक आयोग की वेबसाइट– www.ukpsc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्देशानुसार बैंक चालान के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये रू0 250/–, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/समाज के विकलांग अभ्यर्थियों के लिये रू0 100/–) भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में बैंक के कार्य समय में दिनांक **19 जनवरी 2013** तक जमा कर सकते हैं। सेना के अवमुक्त अधिकारी/सैन्य वियोजित कर्मचारी/पूर्व सैनिक, कुशल खिलाड़ी, महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी एवं उनके आश्रित अभ्यर्थी विभिन्न श्रेणियों यथा– सामान्य श्रेणी, उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में से जिस श्रेणी से संबंधित होंगे, उसे उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

2– अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की दो प्रतियों में प्रिंटआउट निकालकर एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें एवं दूसरी प्रति पर अपने हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान लगाकर बैंक चालान की मूल प्रति, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, उपाधियों, अंक पत्रों, प्रारम्भिक परीक्षा के ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में किये गये आरक्षण के दावे की पुष्टि से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ संलग्न कर सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार–249404 को किसी भी माध्यम से कार्यालय दिवस में (शनिवार व रविवार के साप्ताहिक अवकाश एवं अन्य राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) दिनांक **29 जनवरी 2013** के सायं 6.00 बजे तक उपलब्ध करा दें।

3– ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति संलग्नकों सहित जिस लिफाफे में प्रेषित की जाए उसके ऊपर मोटे अक्षरों में **"उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जे.डी.) (मुख्य) परीक्षा–2012"** तथा अपना नाम एवं अनुक्रमांक अवश्य लिखें। आवेदन पत्र प्रेषित करने का शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा स्वंय वहन किया जायेगा। बिना शुल्क/डाक टिकट लगे आवेदन पत्र के लिफाफे/आवेदन पत्र की फैक्स प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी। अंतिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

नोटः–(1) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित समस्त निर्देशों का भली–भाँति अध्ययन कर लें तदुपरांत ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।

(2) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का अवसर अभ्यर्थी को मात्र एक बार ही अनुमन्य होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रेषित करने की (Submit) प्रक्रिया पूर्ण कर लेने के उपरान्त अभ्यर्थी पुनः ऑनलाइन आवेदन नही कर सकेंगे तथा प्रविष्ट सूचनाओं में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(3) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिये गूगल क्रोम ब्राउजर (Google Chrome Browser) का ही प्रयोग करें।

(चन्द्र शेखर भट्ट)
सचिव।